

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी- सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या:- 205/18 यू0आई0टी0एक्ट (RCMS No.2018/00225)

गजानन्द पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम रामसिंह का पुरा म्यूजियम के पीछे तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर।

.....अप्रार्थी

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 23.10.2018 सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर बाबत नोटिस अंतर्गत धारा 92 (ए) क्रमांक 2897 दिनांक 23.10.2018

उपस्थिति:-

श्री प्रमोद उपमन वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 29.11.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 90 ए यूआईटी एक्ट सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 2897 दिनांक 23.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर ने अपीलान्ट गजानन्द को खसरा नम्बर 465/923 रकबा 0.25 वाकै ग्राम रामसिंहपुरा म्यूजियम के सामने सवाईमाधोपुर पर बिना स्वीकृति लिये ग्राउण्ड फ्लोर पर लगभग 30X60 फीट क्षेत्र में अवैध निर्माण कर अतिक्रमी मानते हुये धारा 90 ए राजस्थान नगर विकास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991 के तहत नोटिस दिनांक 26.3.2018 जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.4.2018 को नोटिस का जबाब देते हुये उक्त विवादित भूमि का स्वयं के नाम पट्टा होना बताया गया। नगर विकास न्यास द्वारा बाद कार्यवाही पुनः अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 23.10.2018 पारित करते हुये अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि कथित पट्टे की जांच हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर को लिखा गया। विकास अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र दिनांक 24.7.2018 से न्यास को अवगत कराया है कि आप द्वारा प्रस्तुत पट्टा इस स्थान का नहीं है। इस प्रकार ग्राम रामसिंहपुरा के खसरा नम्बर 465/923 किस्म गै0मु0 चारागाह क्षेत्रफल 30X60 फीट पर आप यानि अपीलान्ट द्वारा अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इसलिये अपीलान्ट से अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये यह अपेक्षा की गई कि वे तीन दिवस में उक्त अवैध अतिक्रमण को हटा लेवे अन्यथा न्यास द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाकर भूमि न्यास के कब्जे में ले ली जावेगी। इस कार्य में बाधा अथवा अंशाति उत्पन्न किये जाने की दशा में अपीलान्ट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 23.10.2018 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रैस्पोंडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा में बहस सुनी गई।



45
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से किसी राजकीय भूमि/गैर मुमकिन चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। वरन् अपीलान्ट द्वारा अपनी स्वामित्व व आधिपत्य की पट्टाशुदा जमीन पर ही निर्माण किया गया है, लेकिन अदालत तहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आज्ञा पारित करने में भारी भूल की है। अदालत हाजा द्वारा एक ओर विवादित भूमि को न्यास के स्वामित्व की राजकीय भूमि मानते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मान रही है और दूसरी ओर चारागाह की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया जाना माना है, जो कि परस्पर विरोधाभासी है। अदालत मातहत द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवादित भूमि पर अदालत तहत का स्वामित्व क्या है क्यों कि चारागाह भूमि का कस्टोडियन संबंधित तहसीलदार होता है। इसलिए चारागाह भूमि के संबंध में कार्यवाही किये जाने का नगर विकास न्यास को कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा भ्रामक व बहकावे में आकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह कार्यवाही की गई है, जो कि गलत व विधि विरुद्ध है। जहां तक अपीलान्ट के निर्माण का प्रश्न है तो अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण राजकीय भूमि पर अथवा चारागाह पर नहीं किया है। बल्कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं के पट्टा शुदा जगह पर निर्माण किया जा रहा है जो संबंधित ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर ही किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का कीमतन आवंटन अपीलान्ट को कर अपीलान्ट के हक में पट्टा जारी किया गया था और निर्माण स्वीकृति भी दी गई थी। अपीलान्ट की ओर से नगर विकास न्यास में अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत शेरपुर की ओर से जारी पट्टा संख्या 213 दिनांक 05.11.1985 जिसमें 52X56 वर्ग फीट कुल 323.5 वर्गगज के पट्टे की फोटो प्रति, पट्टे के पेटे जमा कराई गई राशि रूपये 7.25 व 350.25 की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत शेरपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 12.08.1985 पुख्ता मकान स्वीकृति आदेश दिनांक 10.12.2017, नक्शे की प्रति, जमाबन्दी आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा रैस्पोजेन्ट की ओर से प्राप्त नोटिस का जवाब दिनांक 10.04.2018 को पेश किया गया था। जिसमें भी स्पष्ट रूप से उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेजों का उल्लेख कर की जा रही कार्यवाही को झोप किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में भी तहसीलदार की ओर से दिनांक 18.06.2018 को तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट भी एकतरफा में तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से बताए गए तथ्यों का हवाला नहीं दिया गया। विवादित भूमि के संबंध में पंचायत समिति की ओर से तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2018 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा मिसिल संख्या 105 तारीख दायर 1985-86 पट्टा संख्या 213 दिनांक 12.08.85 द्वारा दिनांक 05.11.85 पट्टा पूर्व से पश्चिम 52x56 फीट कुल क्षेत्रफल 323.5 फीट है। जिसकी सीमाएं भी मौका रिपोर्ट में दर्शाई गई। अपीलान्ट की ओर से मिसिल संख्या 182 तारीख दायर संख्या 1985-86 पट्टा संख्या 214 संकल्प संख्या 15 दिनांक 12.08.1985 ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा दिनांक 05.11.1985 को पट्टा जारी करना बताया। अपीलान्ट की ओर से जो निर्माण कार्य किया जा रहा था व इस पट्टे की



11.11.2018
 न्यायालय सभागीय आयुक्त
 शेरपुर संभाग, भरतपुर

सीमाज्ञान के अनुसार होना बताया। उक्त दोनों पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरुद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में सचिव नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की ओर से अपीलान्ट को राजस्थान नगर विकास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 92 ए के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसमें खसरा नंबर 465/923 रकबा 0.25 है० भूमि पर बिना स्वीकृति लिए ग्राउण्ड फ्लोर पर लगभग 30x60 फीट क्षेत्र में डीपीसी लेवल तक निर्माण कार्य करवा लिये जाने का उल्लेख करते हुए नोटिस प्राप्ति के 17 दिवस में अतिक्रमण हटाए जाने तथा अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कोई एतराज व साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 12.04.2018 को न्यास कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की पालना में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 10.04.2018 को जवाब पेश किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत शेरपुर की ओर से जारी पट्टेशुदा भूमि पर उक्त निर्माण कार्य करवाए जाने का उल्लेख करते हुए की जा रही कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने की अपेक्षा की गई तथा जवाब के साथ पट्टा व अन्य दस्तावेजात संलग्न किये गये। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को उपरोक्त प्रकरण के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत के बारे में भी तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। इस मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर से पट्टे की प्रमाणिकता की जानकारी पत्र दिनांक 26.06.2018 के द्वारा चाही गई एवं अपीलान्ट को भी बिना अनुमति निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु नोटिस दिया गया। सचिव ग्राम पंचायत शेरपुर व पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2018 में की गई अभिशंषा के आधार पर विकास अधिकारी की ओर से आदेश दिनांक 09.07.2018 के द्वारा कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गजानन्द पुत्र बद्रीलाल माली निवासी रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा जारी पट्टा संख्या 214 दिनांक 05.11.85 के सन्दर्भ में समिति द्वारा मौका देखा गया। मौके अनुसार पूर्व में चाक/तारफेन्सिंग और 10 फीट का रास्त छोड़कर प्रहलाद माली का पक्का मकान है। पश्चिम में नाथू माली का बाड़ा, उत्तर में गली जिस पर टाटी (लकड़ी) व श्री गोपीलाल माली का पुख्ता मकान है। दक्षिण आम रास्ता लगभग 20 फीट है जो कि ढाणी की ओर जा रहा है। मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शे के आधार पर पार्थी के नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर में प्रस्तुत पट्टा वर्तमान में निर्माणाधीन स्थान पर नहीं होकर ढाणी रामसिंहपुरा में स्थित कच्चे मकान का है। इस रिपोर्ट के साथ श्री सुन्दरलाल पुत्र बद्रीलाल माली का बयान भी संलग्न किया गया है। पंचायत समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को पुनः नोटिस क्रमांक 2892 दिनांक 16.10.2018 जारी किया गया है। जिसमें कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि रामसिंहपुरा के खसरा नंबर संख्या 465/923 किस्म गैर मुमकिन चारागाह क्षेत्रफल 30.60 फीट पर किये गये अतिक्रमण 3 दिवस में हटा लें




25
संभागीय आयुक्त
शेरपुर संभाग, भरतपुर

अन्यथा न्यास की ओर से अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि कब्जे में ली जावेगी। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की ओर से जारी पत्र क्रमांक 2897 दिनांक 23.10.2018 के विरुद्ध उक्त अपील पेश की गई है। नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की उक्त नोटिस संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न सचिव नगर विकास न्यास के पत्र दिनांक 26.06.2018 जो कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर को लिखा गया है, के अनुसार राजस्व जमाबन्दी के अनुसार इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है और नगर विकास न्यास के स्वामित्व की दर्ज है। अपीलान्ट की ओर से नोटिस जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये दरतावेजात के संबंध में भी नगर विकास न्यास की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर द्वारा पत्र क्रमांक 8628 दिनांक 24.07.18 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राजस्व जमाबन्दी के अनुसार इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है और नगर विकास न्यास के स्वामित्व की दर्ज है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत पट्टे की प्रमाणिकता की जांच कराए जाने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का पट्टा ढाणी ग्रामसिंहपुरा के गांव का है और प्रार्थी ने जो मकान निर्माण किया है। उसके स्थान का पट्टा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से जिस भूमि पर मकान बनाया जा रहा था वह भूमि ग्राम पंचायत शेरपुर की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि नहीं होकर विवादित खसरा नंबर की भूमि है। जिसका अपीलान्ट के पक्ष में कोई पट्टा जारी होना नहीं पाया जाता है। जहां तक विवादित भूमि गैर मुमकिन चारागाह में होने के कारण नगर विकास न्यास को कार्यवाही किये जाने का अधिकार नहीं होने का प्रश्न है तो वकील अपीलान्ट के उक्त तर्क से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि विवादित भूमि जिसके संबंध में अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है। नगर विकास न्यास की खातेदारी में दर्ज है तथा नगर विकास न्यास की खातेदारी में दर्ज भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में नगर विकास न्यास को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत ही नगर विकास न्यास की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन पत्र दिनांक 23.10.2018 अपीलान्ट को जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन नोटिस दिनांक 23.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(साँवर मल्ल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

